विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–10/2020–लेज.––भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को दिनांक 26–11–2021 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 1 का संशोधन।

3. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2022 का अधिनियम संख्यांक 1

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2021 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 1 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 1 की उपधारा (4) में, ''बीस'' शब्द जहां–जहां आता है के स्थान पर ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.——(1) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH AMENDMENT ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 1.
3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.

Act No. 1 of 2022

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH AMENDMENT ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 26TH NOVEMBER, 2021)

AN

ACT

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub-section 4, for the word "twenty" wherever occurs, the word "thirty" shall be substituted.

3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.—(1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

—————————